

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 13] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 3, 1979/पौष 13, 1900
No. 13] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 3, 1979/PAUSA 13, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

आदेश

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 1979

का. आ. 14(अ)—केन्द्रीय सरकार दिल्ली सड़क परिवहन विधि (संशोधन) अधिनियम
1971 (1971 का 71) की धारा 7 के खण्ड (ग) के साथ पठित, तृतीय अनुसूची के खण्ड
(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि मीजली गाड़ी
अनुज्ञापत्रों से, जो राज्य परिवहन प्राधिकरण, दिल्ली द्वारा दिल्ली परिवहन निगम के
मॉटर यान अधिनियम, 1939 (1939 का 4) की धारा 48 की उपधारा (3) के खण्ड (12)

और (13) के अधीन दिए गए हैं और जो राज्य क्षेत्र के पूरे या किसी भाग में विधिमान्य हैं, संलग्न शर्तें तुरन्त रद्द हो जाएंगी।

[सं. टीजीडी(8)/78]

बी. बी. महाजन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

ORDER

New Delhi, the 3rd January, 1979

S.O. 14(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of the Third Schedule, read with clause (c) of section 7 of the Delhi Road Transport Laws (Amendment) Act, 1971 (71 of 1971), the Central Government hereby directs that the conditions attached to the stage carriage permits which have been granted to the Delhi Transport Corporation by the State Transport Authority, Delhi, and are valid within the whole or any part of the Union Territory under clauses (xii) & (xiii) of sub-section (3) of section 48 of the Motor Vehicles Act, 1939 (4 of 1939) shall stand cancelled with immediate effect.

[No. TGD(8)/78]

B. B. MAHAJAN, Joint Secy.